निरीक्षण आख्या कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़** के माह 12/2014 से 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री संदीप कुमार गर्ग, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अश्वनी कुमार पाण्डेय, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री दिनेश सिंह नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा श्री प्रेमचन्द्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**।**

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए.के.श्रीवास्तव के द्वारा दिनांक 01.12.2014 से दिनांक 12.12.2014 तक श्री बी.डी. सिंह लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गई थी। जिसमें माह 04/2012 स 11/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई।

वर्तमान में माह 12/2014 से 04/2016 तक के लेखापरीक्षा अभिलेखों की जांच की गई।

1. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं संवितरण अधिकारी का पदभार संभाले रखा।

1. श्रीमति राधिका हयांकी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी

3. अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)
2014-15	126	-	1,2

4. सतत् अनियमितताये- शून्य

5. अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित)- शून्य

6. बजटः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	आयोजनेत्तर		आयोजनागत	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2013-14	-	-	2659.07	1497.73
2014-15	-	-	2418.45	1327.76
2015-16	-	-	326.77	230.13

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- रू. 908 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के बाद भी 200 नवीन भवन एवं 8 उच्चीकरण भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र xvii(14)2015/29(23)2013 महिला सशक्तिकरण वं बाल विकास अनुभाग देहरादून दिनांक 16 फरवरी 2015 के अनुसार उत्तराखण्ड के 13 जिलों में 1450 नये आंगनबाड़ी के निर्माण एवं 113 आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के उच्चीकरण की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 6638 लाख की धनराशि व्यय हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी । इसी के सापेक्ष निदेशक आईसीडीएस उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 22 अप्रैल 2015 के द्वारा 13 जनपदों को उक्त धनराशि अवमुक्त कर दिया गया। उक्त शासनादेश में यह भी निर्देशित किया गया था कि तदनुसार तत्काल कार्यवाही करते हुए निर्धारित संख्या के भवनों के निर्माण/उच्चीकरण की औपचारिकता जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदनपरान्त धनराशि को कार्यदायी संस्था के खाते में नियमानुसार हस्तारित करते हुए उसी वित्तीय वर्ष 2014-15 में उपभोग करना सुनिश्चित करें। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक रू. 4.50 लाख की धनराशि प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण एवं 1 लाख की धनराशि प्रति पुराने आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की उच्चीकरण हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी के निर्वतन पर जारी की जा रही है।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी पिथौरागढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों के 200 भवन निर्माण एवं 8 उच्चीकरण हेतु रू. 908 लाख की धनराशि फरवरी 2015 में अवमुक्त कर दिया गया था। उके बावजूद भी 13 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्प्रेक्षा तिथि 05/2016 तक 200 आंगनबाड़ी केन्द्र सभी 200 निर्माण अपूर्ण थे। 8 उच्चीकरण में से 8 ही अपूर्ण थे। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से अप्राप्त है।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में कहा है कि खण्ड विकास अधिकारी को कार्य पूर्ण करने हेतु पत्र लिखा गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग की उदासीनता के कारण 13 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी भवन का निर्माण/उच्चीकरण किया जा सका।

अतः रू. 908 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त किये जाने के बाद भी 200 नवीन भवन एवं 8 उच्चीकरण भवन का निर्माण कार्य अपूर्ण रहना एवं उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत अपात्र बालिकाओं को लाभ प्रदान किये जाने से रू. 3.00 लाख की हानि।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पत्र संख्या 1945/XVII(4)2014/14(09)/TC दिनांक 01 अक्टूबर 2014 द्वारा नन्दा देवी कन्या योजना के संबंध में निर्गत शासनादेख में यह उपबंधित करते हुए कि राज्य के लैंगिक असमानता दूर करने, कन्या भ्रूण हत्य, बाल विवाह को रोकने एवं गर्भवती महिलाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शत प्रतिशत पंजीकरण कराकर संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने एवं जन्म पंजीकरण वं टीकाकरण के लिए जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से योजना को राज्य में लागू किया गया था । जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 01 जनवरी 2009 के बाद बी.पी.एल. परिवारों में पैदा हुई दो जीवित बालिकाओं को दिशानिर्देश में उल्लेखित शर्तों को पूरा करने पर लाभान्वित किया जा सकेगा। इस योजना के तहत कुल 15000 रूपये तीन चरणों में प्रदान किया जाना था। रूपये 5000 की प्रथम किस्त आवेदन के एक माह के अन्दर कन्या के अभिवावक को A/C payee चेक के माध्यम से प्रदान की जानी थी। शेष 10000 की धनराशि किसी भी लीड बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जानी थी, योजना की द्वीतीय किस्त 10 वर्ष की आयु के उपरांत बालिका की माता के खाते में E-Transfer के माध्यम से हस्तातरित की जानी थी। अवशेष धनराशि पुनः 8 वर्षों के लिए लीड बैंक से सावधि जमा की जानी थी तथा कन्या के 18 वर्षों की आयु पूर्ण करने, हाईस्कूल में अध्ययनरत होने था अविवाहित होने की दशा में लाभार्थी बालिका को हस्तातंरित की जानी थी। यदि बालिका की अपरिहार्य कारणों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो यह धनराशि राजकोष में जमा करा दी जानी थी । योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण पत्र या सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र, संस्थागत प्रसव के संबंध में प्रमाण पत्र जन्म पंजीकरण की प्रति तथा टीका करण से संबंधित कागजात सम्बद्ध किया जाना था।

इकाई के लेखापरीक्षा के दौरान योजना के पत्रावली के अवोलकन में यह तथ्य सामने आया कि 19 आवेदन पत्रों के साथ जन्म प्रमाण पत्र की तिथि बच्चों के जन्म से पूर्व की है, तथा एक प्रकरण में अभिवावक की आय 4200 रूपये प्रतिमाह अंकित है जो कि दिशानिर्देश में निर्देष्ट सीमा से अधिक है। (सूची संलग्न)

उपरोक्त के संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अवगत कराया कि प्रकरणों की जांच कर उचित कार्यवाही की जायेगी, जिससे लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः पुष्टि हो जाती है।

इस प्रकार 20 अपात्र बालिकाओं को रूपये 15000 की दर से धनराशि प्रदान किये जाने के कारण रूपये 3.00 लाख धनराशि का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3- विभागीय खाते में रूपये 332400 का अवरोधन एवं रू. 107600 का अनियमित व्यय।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या सी-1344/कि.श.यो.-2982/13-14 दिनांक 05 अगस्त 2014 द्वारा किशोरी शक्ति योजना/एटोलसेण्ट गर्ल योजना के दिशानिर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुसार 11 से 18 वर्ष की, ऐसी कन्याओं को जिन्होनें विद्यालय जाना छोड़ दिया हो को विभाग द्वारा चयनित करके स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर में अपेक्षित सुधार करने, साक्षरता एवं अंकीय ज्ञान प्रदान करने, गृह आधारित एवं व्यावसायिक कौशलों में सुधार करने आदि का लक्ष्य रखा गया था।

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़ के लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय को निदेशक, आई.सी.डी.एस, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या सी-971/बजट-2961/2014-15 दिनांक 08 जुलाई 2014 द्वारा कुल 4.40 लाख रूपये उपलब्ध कराये थे। कार्यालय ने योजना के क्रियान्वयन हेतु मानकानुसार रू पये 107600 की धनराशि के किटों का क्रय किया गया था। शेष धनराशि रूपये 332400 को विभागीय खाते में जमा कर दिया गया था। इकाई के अभिलेखों की जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि विभाग द्वारा ना तो अब तक किशोरियों का चयन किया गया ना ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे।

इस संबंध में इकाई से पूछे जाने पर कि बिना किशोरियों को चयनित किये हुये प्रशिक्षण किटों को क्रय करके उसका क्रय किया गया तथा अब तक प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारी आयोजित क्यों नही किया गया। इकाई ने सूचित किया कि प्रशिक्षणों किटों को वितरित कर दिया गया है तथा एन.जी.ओ. के साथ अनुबंध न हो सकने के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जा सके। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण हेतु किशोरियों के चयन के उपरांत ही किटों का आंवटन किया जाना था एवं धनावंटन के लगभग 02 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी प्रशिक्षण हेतु किसी एन.जी.ओ. को चयनित नहीं किया जा सका जो कि विभागीय शिथिलता प्रदर्शित करता है।

अतः विभागीय खाते में धनराशि 332400 का अवरोधन एवं रूपये 107600 के अनियमित व्यय का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 4 : आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ़ की भवन किराया मद के अन्तर्गत धनराशि ` 1.20 लाख का अधिक भुगतान किया जाना।

निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास (आई.सी.डी.एस.), देहरादून के पत्र संख्या-2954/आई.सी.डी.एस./स्टैप-2485/2013-14 दिनांक 21 नवम्बर 2013 के द्वारा जिला स्तर पर आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र हेतु धनराशि ` 10,000.00 (` दस हजार मात्र) की दर से मासिक भवन किराये का भुगतान किया जाना था जबकि मैट्रो सिटी में स्थित केन्द्रों हेतु धनराशि ` 18,000.00 की मासिक दर से भवन किराये के भुगतान का प्रावधान था।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ़ के भवन किराया मद के अंतर्गत माह दिसम्बर 2013 से फरवरी 2015 के मध्य धनराशि ` 18,000.00 प्रतिमाह की दर से कुल धनराशि ` 2,70,000.00 का भुगतान किया गया, जबकि उक्त अवधि में प्रशिक्षण केन्द्र को भवन किराये के अंतर्गत धनराशि ` 10, 000.00 प्रतिमाह की दर से कुल धनराशि ` 1,50,000.00 का भुगतान किया जाना चाहिए था। इस प्रकार भवन किराया मद के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र में धनराशि ` 1,20,000.00 का अधिक भुगतान किया गया । मार्च 2015 से निर्धारित दर रू. 10,000 प्रतिमाह भवन किराया भुगतान किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया तथा अधिक भुगतान धनराशि ` 1,20,000 की वसूली हेतु कार्यवाही करने का उत्तर दिया गया।

अतः आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र, पिथौरागढ़ से धनराशि ` 1,20,000.00 की वसूली लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निरकारण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **जिला कार्यक्रम अधिकारी, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)